

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 525-पै0एण्डआर0-28/पाकालि/2015-60-पी/98

दिनांक : 16 मई, 2015

प्रबन्ध निदेशक,
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0,
सिविल लाइंस,
कानपुर।

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
मेरठ।

प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
डी0एल0डब्लू0,
वाराणसी।

विषय:- सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उ0प्र0, 2008 की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 शासन ने अपने कार्यालय ज्ञाप सं0: सा-3-1508/10-2008-308/97 दिनांक 08.12.2008 द्वारा राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों आदि के सम्बन्ध में दिनांक 01-01-2006 से संशोधित/पुनरीक्षित व्यवस्था निर्धारित की थी। इस शासनादेश के प्रस्तर 7-(3), 7-(4) तथा 7-(5) में पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अधोउद्धृत प्राविधान किये गये थे :-

"7-(3) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-

वर्ग-(I)

(क) विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग-II)

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग (I) से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(घ) ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े हैं।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-(II) से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उपर्युक्त वर्ग-(I) में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न

बिन्दु रेखास्व

हस्ताक्षर

हो, जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

7-(4) उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य मंहगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7-(5) संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाएगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो जाएगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार को प्रत्येक 6 माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।"

2- शासन ने उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी किया था। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने प्रस्तर-1 में वर्णित शासनादेश सं0: सा-3-1508/10-2008-308/97 दिनांक 08.12.2008 को कारपोरेशन के आदेश संख्या-397-पे0एवंआर0-28/पाकालि/09 दिनांक 02.03.2009 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उसकी वितरण कम्पनियों एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स पर आवश्यक संशोधनों सहित लागू करने हेतु अंगीकृत किया था।

3- उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्था दिनांक 01-01-2006 से लागू होने के कारण दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के वर्ग-(11) से आच्छादित आश्रितों को संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमन्य नहीं था।

4- तदन्तर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0: सा-3-1665/दस-2012-308/97, दिनांक 03.12.2012 (संलग्नक-1) द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनर्स/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन उपर्युक्त शासनादेश सं0: सा-3-1508/10-2008-308/97 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-7(3), (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दिनांक 03-12-2012 से अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

5- उपरोक्त के क्रम में शासन के आदेश सं0: सा-3-227/दस-2014-308-97 दिनांक 01.07.2014 (संलग्नक-2) द्वारा शासनादेश सं0: सा-3-1508/दस-2008-308-97 दिनांक 08.12.2008 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-1665/दस-2012-308-97 दिनांक 03.12.2012 के सम्बन्ध में शासन ने कतिपय स्पष्टीकरण जारी किये हैं, जिनमें प्रमुख यह है कि पारिवारिक पेंशन केवल उन्हीं संतानों को अनुमन्य है, जो सरकारी सेवक अथवा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु की तिथि, जो बाद में हो, को अपने पिता/माता पर आश्रित हैं एवं उक्त तिथि को अर्हता की अन्य शर्तें पूर्ण करती हों। इसी प्रकार किसी विधवा/तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन तभी अनुमन्य होगी, जब वह सरकारी सेवक अथवा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु की तिथि पर पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करती हो। उपर्युक्त शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/पेंशनर अथवा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु की तिथि, जो बाद में हो, को तलाकशुदा/विधवा थीं, को पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, परन्तु ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

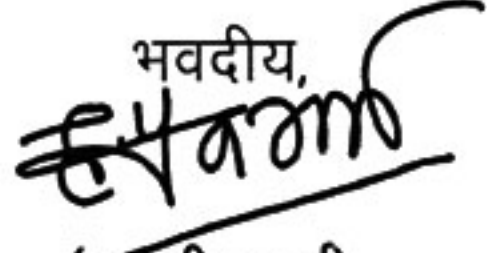
6- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल ने दिनांक 01-05-2015 को सम्पन्न अपनी 114वीं बैठक में शासन के उपसन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप सं0: सा-3-1665/दस-2012-308/97, दिनांक 03.12.2012 (संलग्नक-1) तथा आदेश सं0: सा-3-227/दस-2014-308-97 दिनांक 01.07.2014 (संलग्नक-2) में निहित व्यवस्था को आवश्यक संशोधनों सहित लागू करने हेतु अंगीकार करने का निर्णय लिया है। दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के वर्ग-(11) से आच्छादित आश्रितों को निर्धारित शर्तें पूरी होने की दशा में

विद्युत्वास्तव

हस्ताक्षर

शासनादेश सं०: सा-3-1508/10- 2008-308/97 दिनांक 08.12.2008 में वर्णित संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक 03-12-2012 से देय होगा।

संलग्नक : यथोपरोक्त।

भवदीय,

(एच०पी० वर्मा)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या : 525(1)-पें०एण्डआर०-28/पाकालि/2015 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों।
- 8- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों।
- 10- समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 11- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 12- सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12-ऑफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 14- अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ यू०पी०, पेंशनर्स एसोसियेशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
- 15- मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाल बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झॉसी/पी०एन०बी० हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/गुरुद्वारा रोड, इलाही काम्पलेक्स, निकट वेव सिनेमा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ/प्रभात नगर, साकेत, मेरठ/पी०एन०बी०, हाउस, राम गंगा बिहार फेस-11, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस-20/56-डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
- 16- प्रबन्धक (सी०पी०पी०सी०), सेन्ट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
- 17- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 18- कट फाइल।

आज्ञा से,

(एच०पी० वर्मा)
अपर सचिव (तृतीय)
जिन्

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या: सा-3-1665/दस-2012-308/97
लखनऊ : दिनांक : 03 दिसम्बर, 2012

कार्यालय झाप

विषय:-दिनांक 01 जनवरी 2008 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत राज्य सरकार के गैशना/कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2008 को अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :-

वर्ग-(I)

- (क) विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,
- (ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग-(II)

- (ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग-(I) से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,
- (घ) ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े हैं।

आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-(II) से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उपर्युक्त वर्ग-(I) में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई भ्रंश न हो, जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उराकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सुप्रीम
(एच0 पी0 वर्मा)
अपर सचिव-3

उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रभावी किये जाने के कारण दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवा निवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/ तलाकशुदा/विधवा पुत्रियों को उपर्युक्त लाभ अनुमन्य नहीं हो पा रहा है।

2. शासन को इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी उपर्युक्तानुसार पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य की जाय।

3. केन्द्र सरकार में दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु के उपरान्त भी संगत शर्तों के साथ समान रूप से अनुमन्य है, चाहे उनका वैधव्य/तलाक 25 वर्ष की आयु के पूर्व हुआ हो अथवा उसके पश्चात्।

4. उपर्युक्त के सम्बन्ध में गुप्तो यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन उपर्युक्त शासनादेश संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के प्रस्तर-7(3), (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहस्र स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5. ऐसे प्रकरण जिनमें अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रितों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन प्रकरणों में पेंशन प्रपत्र के भाग-2 में सम्बन्धित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों के नाम तथा जन्म तिथि (यथेष्ट प्रमाण पत्र के साथ) अंकित कर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उपरोक्त नामांकन प्रपत्र (पेंशन प्रपत्र का भाग-2) को सत्यापित करते हुए सम्बन्धित पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को प्रेषित करेंगे। पेंशन स्वीकर्ताधिकारी उक्त नामांकन प्रपत्र के आधार पर पारिवारिक पेंशनरों की पात्रता सूची में अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों के नाम एवं जन्म तिथि अंकित किये जाने सम्बन्धी आदेश सम्बन्धित कोषाधिवगरी एवं प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष तथा पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को प्रेषित करेंगे।

सुबोध

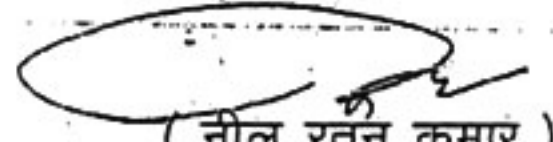
(एच0 पी0 वर्मा)
अपर सचिव-3

आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव वित्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. विशेष सचिव एवं वित्त नियन्त्रक, श्री राज्यपाल सचिवालय, मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, विशेष सचिव, वित्त, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

संयुक्त
(एच0 पी0 वर्मा)
अपर सचिव-3.

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
- 3-निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक : 01 जुलाई, 2014

विषय:- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 08-12-2008 एवं 03-12-2012 में यह व्यवस्था की गयी है कि सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / तलाकशुदा / विधवा पुत्रियों को कतिपय शर्तों के अधीन 25 वर्ष के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

2- कतिपय विभागों द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा गया है कि ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/ पेंशनर, उसकी पत्नी / पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा / विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी अथवा नहीं?

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की संतानों को पारिवारिक पेंशन इसलिये अनुमन्य है कि उन्हें पेंशनर पर आश्रित माना जाता है। पारिवारिक पेंशन केवल उन्हीं संतानों को अनुमन्य है, जो सरकारी सेवक अथवा उसकी पत्नी / पति की मृत्यु की तिथि, जो बाद में हो, को

--2/-

हस्ताक्षर

(एच0 पी0 वर्मा)
अपर सचिव-3

अपने पिता / माता पर आश्रित हैं एवं उक्त तिथि को अर्हता की अन्य शर्तें पूर्ण करती हों। यदि उक्त तिथि को दो अथवा अधिक संतानें पारिवारिक पेंशन के लिए अर्ह हों, तो ऐसी प्रत्येक संतान को पारिवारिक पेंशन देय होगी जो पारिवारिक पेंशन हेतु उसकी बारी आने पर पारिवारिक पेंशन के लिए अर्हता की सारी शर्तें पूरी करती हों।

4- इसी प्रकार किसी विधवा / तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन तभी अनुमन्य होगी जब वह सरकारी सेवक अथवा उसकी पत्नी / पति की मृत्यु की तिथि पर पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करती हों।

5- उपर्युक्तानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/ पेंशनर अथवा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु की तिथि जो बाद में हो, को तलाकशुदा/विधवा थीं, को पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/ पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/ विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-6-सा-3-227(1)/दस-2014-308/97, तददिनांक

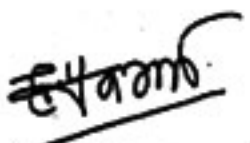
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, श्री राज्यपाल सचिवालय, मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, विशेष सचिव, वित्त, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

- आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।



(एच0 पी0 वर्मा)
अपर सचिव-3